प्रेस नोट

विषय–परिक्षेत्र के जनपद बांदा, महोबा, हमीरपुर एवं चित्रकूट में विगत माह (अगस्त 2020) में जटिल व अज्ञात घटनाओं की विवेचना वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए अनावरित कि गयी हो, की श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा द्वारा स्वयं समीक्षा कर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में पुरस्कृत करने हेतु नामांकन के सम्बन्ध में:–

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री के0 सत्यनारायाणा द्वारा परिक्षेत्र के समस्त जनपदों में समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण के साथ साथ गुणवत्ता भी आवश्यक है। अच्छी विवेचना के फलस्वरुप अपराधी को सजा होगी तथा वह अपराध नियन्त्रण में उपयोगी होगी।

प्रायः देखने में आ रहा है कि थानाप्रभारी अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जितनी अभिरुचि दिखाते है उतनी अभिरुचि विवेचना में नही दिखा रहें है। इसी प्रकार थानाप्रभारी नामजद मुकदमों में जितनी सकियता दिखाते है उतनी सकियता अज्ञात के विरुद्व दर्ज मुकदमों के अनावरण में नही दिखा रहें है।

उक्त में सुधार किए जाने हेतु चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा में प्रदेश में पहली बार पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा महोदय द्वारा A, B, C, D, (Award For Best Crime Detection) अवार्ड शुरु किया गया है। जिसके अन्तर्गत परिक्षेत्र की 04 अति उत्तम विवेचनाओं का चिन्हित कर प्रथम एवं द्वितीय को नगद पुरस्कार तथा तृतीय एवं चतुर्थ का प्रशस्तिपत्र से सम्मानित किया जाएगा।

इसी कम में माह अगस्त के लिए जनपद बांदा, चित्रकूट, महोबा एवं हमीरपुर से 01–01 उत्तम विवेचना परिक्षेत्र में मांगी गयी, जिसकी समीक्षा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की गयी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

जनपद हमीरपुर के थाना मौदहा में दिनांक 28.07.2020 को हमीरपुर कबरई हाइवे पर मकरांव के पास ब्रेकर पर स्कार्पियों सवार व्यक्तियों द्वारा ट्रक को रोककर ट्रक चालक व कण्डकटर को मारपीट कर 23500 रु0 छीनकर नरायच पुल के पास दोनो को बांधकर डाल दिया। इस घटना के सम्बन्ध मे थाना मौदहा में **मु0अ0सं0–302/20 धारा 395,397,412 आईपीसी0 बनाम अज्ञात** पंजीकृत होकर घटना के अनावरण हेतु निरीक्षक श्री ब्रजेश चन्द्र यादव प्रभारी स्वाट टीम जनपद हमीरपुर व हे0कां0 शिवप्रताप सिंह, कां0 रजत सिंह, कां0 राजवीर सिंह व कां0 कमलकान्त यादव साथ मौदहा पुलिस ने संयुक्त रुप से सकिय होते हुए तथा वैज्ञानिक विधियों में इलैक्ट्रानिक सर्विलांस के माध्यम से घटना स्थल का बी0टी0एस0 लेते हुए अभियुक्तों का पीछा करना शुरु किया गया इलैक्ट्रानिक सर्विलांस

सीडीआर व मुखबिर की सूचना के आधार पर दि0–05.08.2020 को साहसिक मुढभेड में पुलिस टीम द्वारा 07 अभियुक्त क्रमशः 1.जावेद पुत्र शाकिर 2.सबलू पुत्र बबलू 3.फरमान उर्फ ताऊ 4.मज्जन उर्फ मुश्ताक 5.छोटू मिश्रा व 6.रेहान पुत्र शकील खां को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से उक्त घटना में प्रयुक्त 01 स्कार्पियो वाहन, व लूटी गयी धनराशि तथा 01 तमचां 315 बोर मय कारतूस भी बरामद हुआ। अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि हमलोग इस स्कार्पियों से जनपद हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात के राजमार्गों पर ट्रकों से बल पूर्वक लूट–पाट व जहर खुरानी की कई घटनाओं का खुलासा किया। खुलासा करने वाली टीम प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम हमीरपुर को परिक्षेत्र में **प्रथम पुरस्कार** हेतु नामांकित किया गया है।

जनपद बांदा के थाना फतेहगंज में दिनांक–13.07.2020 को रात्रि 01.00 बजे बच्चा यादव पुत्र देवीदयाल उम्र 38 वर्ष की अज्ञात व्यतियों द्वारा हत्या कर दी गयी। उक्त सूचना के सम्बन्ध मे थाने पर मु0अ0सं0–21/20 धारा 302 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष फतेहगजं श्री राधे बाबू द्वारा प्रचलित करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर डॉग स्क्वायड व फील्ड यूनिट तथा इलैक्ट्रानिक सर्विलांस की मदद लेते हुए घटना के अनावरण हेतु अथक प्रयासों व गहन पूछताछ से अभियुक्त लवलेश कुमार पुत्र रामस्वरुप यादव व राजकरन कुशवाहा पुत्र रामस्वरुप कुशवाहा का प्रकाश में आया तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों से भी इन्ही के नाम की पुष्टि हुई पूछताछ से अभियुक्तों ने अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए मृतक बच्चा यादव की हत्या करना बताया तथा हत्या में प्रयुक्त रक्त रंजित कुल्हाडी भी बरामद की गयी तथा हत्या का कारण नदी से बालू निकालने को लेकर बच्चा यादव से अभियुक्तों की कई बार कहा सुनी हुयी थी, इसी कारण हम लोगों ने बच्चा यादव की हमलोगों ने हत्या की। मामले मे विवेचक को पुलिस महानिरीक्षक द्वारा **द्वितीय पुरस्कार** हेतु नामांकित किया गया है।

जनपद महोबा के थाना कोतवाली नगर में दिनांक–10.01.20 को मु0अ0सं0–15/20 धारा–302 वादी श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री किशारीलाल नि0 करहरा कला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा में पंजीकृत हुआ। वादी ने सूचना किया कि मेरा भतीजा अभिषेक पुत्र कालीचरण उम्र–16 वर्ष मेरे छोटे बेटे का गांव के राजेन्द्र की दुकान पर सामान दिलाने सायं 06:30 बजे गया था, तब से वापस नही आया तब से हमलोग अभिषेक को इधर उधर खोजते रहे लेकिन उसका कही कोई पता नही चल सका। दूसरे दिन गांव वालों से पता चला कि एक लाश पहाडी पर पडी है मै भी गांव वालों के साथ पहाडी पर गया तो देखा कि वह लाश मेरे भतीजे अभिषेक की है। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इसे पत्थर से कुचला गया है तथा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गयी है। इस मामलेक को गम्भीरता से लेते हुए विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री विपिन त्रिवेदी द्वारा प्रचलित की गयी तो विवेचना के क्रम में आस पास के व्यक्तियों से गहन पुछताछ प्रारम्भ की गयी तो घटना के क्रमागत मोहन अहिरवार के विरुद्व क्रमागत साक्ष्य मिलना शुरु हो गए तथा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस से भी घटनास्थल पर मोहन अहिरवार का मौजूद होना पाया जा रहा था तत्

पश्चात मोहन अहिरवार को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी तो इसने अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए अभिषेक की हत्या करना बताया तथा हत्या का कारण बताया कि मेरा कालीचरण के घर आना जाना था जिसको लेकर कालीचरण ने मेरे साथ कई बार बत्तमीजी किया था जो मुझे नागवार लगा व गांव मे मेरी बहुत बेईज्जती हुयी थी इसी कारण धोखे से मैने इनके लडके की हत्या कर दी, विवेचक के द्वारा अभियुक्त मोहन अहिरवार पुत्र स्व0 रामाधीन अहिरवार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से आला कत्ल बरामद कर जेल भेजा गया उक्त मुकदमें के विवेचक को महोदय द्वारा **तृतीय पुरस्कार** हेतु नामांकित किया गया है।

जनपद चित्रकूट– दिनांक 06.06.2020 को वादी श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री राकेश सिंह निवासी विनायकपुर थाना कोत0 कर्वी की सूचना पर मु0अ0सं0 269/20 धारा–302/201 आईपीसी0 पंजी0 हुआ। वादी ने सूचना दिया कि दिनांक 05.06.2020 को मेरा भाई हेमराज गांव के रहने वाले रामचन्द्र पुत्र बसन्तलाल के साथ सायंकाल 07 बजे कही गया था। आज पता चला है कि मेरे भाई हेमजराज सिंह की लाश गांव के उत्तर दिशा में खेत मे पड़ी है। जब मै गावं वालो के साथ मौके पर गया तो देखा कि उसके सर पर काफी चोट है तथा कटा हुआ घाव दिखा। उक्त हत्या की घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियोग की विवेचना निरीक्षक क्राइम ब्रांच से विजय कुमार सिह के सुपुर्द की गयी तो विवेचना के क्रम में घटना स्थल का निरीक्षण डाक स्कवायड व फील्ड यूनिट एवं इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की मदद लेते हुए गहन पूछताछ से पता चला कि हेमराज व पुष्पेन्द्र साथ–साथ रहते थे। हेमराज सूरत से लॉकडाउन के कारण वापस आया था। घटना के पहले वाली रात में हेमराज व रामचन्द्र देर रात्रि तक साथ में रहे तथा पुष्पेन्द्र भी साथ में था। हेमराज की हत्या पुष्पेन्द्र व रामचन्द्र ने ही की है तथा दोनो घटना के दिन पुष्पेन्द्र व रामचन्द्र एक साथ बैठकर दारू भी पिये थे। अब पूरा शक पुष्पेन्द्र व रामचन्द्र पर हो रहा है तथा इलेक्ट्रानिक साक्ष्य भी इन्ही की ओर इंगित कर रहे है तथा पुष्पेन्द्र व रामचन्द्र की मृतक हेमराज से मन–मुटाव होने की बात प्रकाश में आयी है तत्पश्चात् विवेचक द्वारा पुषेन्द्र व रामचन्द्र को गिरफ्तार कर कडाई से पूछ–ताछ करने पर दोनो ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए हेमराज की हत्या करना बताया और अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगो से मृतक हेमराज उधार के पैसे मांगा करता था जिससे हम लोगो की काफी बेइज्जती हो रही थी जिस कारण हम लोगो ने हेमराज को दारू पिलाने के बहाने झाडियो की तरफ ले गये और कुल्हाडी से मार कर इसकी हत्या कर दी। इनकी निशान देही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाडी को बरामद किया गया। इस तरह इस सन–सनीखेज हत्या का खुलासा विवेचक द्वारा किया गया। विवेचक द्वारा घटना का सफल अनावरण किये जाने पर महोदय पुलिस महानिरीक्षक द्वारा **चतुर्थ पुरस्कार** हेतु नामांकित किया गया है।

महोदय द्वारा प्रत्येक माह परिक्षेत्र की उत्कृष्ट विवेचनाओं की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पुरस्कार हेतु नामांकित किया जाएगा। इससे विवेचना की गुणवत्ता बढेगी तथा विवेचकों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

सोशल मीडिया सेल,
पुलिस महानिरीक्षक,
चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा।